



दिनांक: 28.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबंद पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.01.2026 को थाना देवबन्द पर पूर्व में गैंग बनाकर लूट करने जैसे जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध उच्चाधिकारीगणों के आदेश पर मु0अस0 62/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम 1. डोली उर्फ अंकुल पुत्र पवन नि0 ग्राम शिवपुर थाना कोतवाली देवबन्द जिला सहारनपुर (गैंग लीडर) 2. विशाल पुत्र वीरसिंह निवासी ग्राम सुन्हेटी अलापुर इकबालपुर थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 3. अभिषेक पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम निहालखेड़ी थाना कोतवाली देवबन्द जिला सहारनपुर 4. रितेश पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम बहेड़की सादाबाद थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 5. जुल्फिकार उर्फ बिल्ला पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मौहल्ला पठानपुर निकट जिओ टाँवर थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 6. अमन सैनी पुत्र सुरेन्द्र सैनी नि0 मौ0 छावनी कस्बा व थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में 06 टीम गठित कर 1. डोली उर्फ अंकुल पुत्र पवन नि0 ग्राम शिवपुर थाना कोतवाली देवबन्द जिला सहारनपुर (गैंग लीडर) 2. विशाल पुत्र वीरसिंह निवासी ग्राम सुन्हेटी अलापुर इकबालपुर थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 3. अभिषेक पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम निहालखेड़ी थाना कोतवाली देवबन्द जिला सहारनपुर 4. रितेश पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम बहेड़की सादाबाद थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 5. जुल्फिकार उर्फ बिल्ला पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मौहल्ला पठानपुर निकट जिओ टाँवर थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 6. अमन सैनी पुत्र सुरेन्द्र सैनी नि0 मौ0 छावनी कस्बा व थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को इनके मकसन से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. डोली उर्फ अंकुल पुत्र पवन नि0 ग्राम शिवपुर थाना कोतवाली देवबन्द जिला सहारनपुर ।
2. विशाल पुत्र वीरसिंह निवासी ग्राम सुन्हेटी अलापुर इकबालपुर थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
3. अभिषेक पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम निहालखेड़ी थाना कोतवाली देवबन्द जिला सहारनपुर ।
4. रितेश पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम बहेड़की सादाबाद थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
5. जुल्फिकार उर्फ बिल्ला पुत्र दीन मोहम्मद निवासी मौहल्ला पठानपुर निकट जिओ टाँवर थाना मंगलौर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।
6. अमन सैनी पुत्र सुरेन्द्र सैनी नि0 मौ0 छावनी कस्बा व थाना झबरेडा जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ।

आपराधिक इतिहास:-

डोली उर्फ अंकुल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 551/24 धारा 309(6)/109(1)/317(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट थाना देवबन्द स0पुर ।
2. मु0अ0स0 641/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना देवबन्द सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0 644/22 दारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर ।
4. मु0अ0स0 559/24 धारा 309(4)/115(2)/317(2)3(5) बीएनएस थाना गंगनहर हरिद्वार ।
5. मु0अ0स0 246/24 धारा 309(6),351(3),352/317(2) बीएनएस थाना झबरेडा हरिद्वार ।

अभियुक्त विशाल का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 551/24 धारा 309(6)/109(1)/317(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द स0पुर ।
2. मु0अ0स0 559/24 धारा 309(4)/115(2)/317(2)3(5) बीएनएस थाना गंगनहर हरिद्वार ,
3. मु0अ0स0 246/24 धारा 309(6),351(3),352/317(2) बीएनएस थाना झवरेड़ा हरिद्वार
4. मु0अ0स0 32/21 धारा 307 भादवि थाना गंगनहर हरिद्वार
5. मु0अ0स0 37/21 धारा 25 आर्म्स एक्ट थान गंगनहर हरिद्वार ।

अभियुक्त अभिषेक का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 551/24 धारा 309(6)/109(1)/317(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द स0पुर ।

अभियुक्त रितेश का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 551/24 धारा 309(6)/109(1)/317(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द स0पुर ।
2. मु0अ0स0 559/24 धारा 309(4)/115(2)/317(2)3(5) बीएनएस थाना गंगनहर हरिद्वार ,
3. मु0अ0स0 246/24 धारा 309(6),351(3),352/317(2) बीएनएस थाना झवरेड़ा हरिद्वार ।

अभियुक्त जुल्फिकार का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 551/24 धारा 309(6)/109(1)/317(2)/61(2)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द स0पुर ।
2. मु0अ0स0 530/22 धारा 307/120बी भादवि थाना मंगलौर हरिद्वार ।
3. मु0अ0स0 246/24 धारा 309(6),351(3),352/317(2) बीएनएस थाना झवरेड़ा हरिद्वार ।

अभियुक्त अमन सैनी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 559/24 धारा 309(4)/115(2)/317(2)3(5) बीएनएस थाना गंगनहर हरिद्वार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना देवबन्द , सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जितेन्द्र भाटी थाना देवबन्द , सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना देवबन्द , सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री रविन्द्र नागर थाना देवबन्द , सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना देवबन्द , सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री सुभाष शर्मा थाना देवबन्द , सहारनपुर
7. का0 16 पवन सिरोही थाना देवबन्द , सहारनपुर
8. है0का0 1050 नितिन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
9. है0का0 1216 ब्रह्मप्रकाश थाना देवबन्द सहारनपुर
10. है0का0 561 शमीम अहमद थाना देवबन्द सहारनपुर
11. है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द , सहारनपुर
12. है0का0 1289 विकास पंवार थाना देवबन्द , सहारनपुर
13. हे.का.1167 संजीव तालियान थाना देवबन्द , सहारनपुर
14. है0का0 586 राजीव कुमार थाना देवबन्द , सहारनपुर
15. का0 1781 सचिन कुमार थाना देवबन्द , सहारनपुर
16. का0 2076 धर्मेन्द्र कुमार थाना देवबन्द , सहारनपुर
17. का0 1480 विपिन कुमार थाना देवबन्द , सहारनपुर
18. का0 2008 ऋषभ देशवाल थाना देवबन्द , सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28-01-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **रजनीश पुत्र मंगल निवासी सरदाहेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 53547/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम माननीय न्यायालय श्रीमान ए0सी0जे0एम द्वितीय सहारनपुर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रजनीश पुत्र मंगल निवासी सरदाहेडी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 456 बबलू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक- 28.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2026 को वादिया ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आमिर उर्फ हथोडा पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 18/26 धारा 64(1)) पंजीकृत कराया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.01.2026 को पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **आमिर उर्फ हथोडा पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को कान्हा कालेज ग्राम शेरपुर अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आमिर उर्फ हथोडा पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 29/25 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बिहारीगढ सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ब्रजपाल सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1218 विकास कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
4. का0 2261 राजेन्द्र राणा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 28.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.01.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **रकम सिंह पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम बडगांव थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं०-2297/23 धारा 60/62 आबकारी अधि० चालानी थाना चिलकाना स०पुर न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय स०पुर) को ग्राम बडगांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रकम सिंह पुत्र रूपचन्द नि० ग्राम बडगांव थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ०नि० श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 1317 सचिन खोखर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का० 2267 विष्णु कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 28.01.2026

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 27.01.2026 को वादी अशोक कुमार पुत्र जोधाराम निवासी कपिल बिहार थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी की स्पलेडर मोटर साइकिल नं0-UP11AR9897 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0-55/26 धारा -305(A) बीएनएस पंजीकृत कराया गया है।

पुलिस कार्यवाही:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु दिश-निर्देश दिए गये, जिनके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.01.26 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त **रवि सिंह पुत्र रामसिंह निवासी बृजेश नगर पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर** को स्टार पेपर मिल पब्लिक स्कुल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रवि सिंह पुत्र रामसिंह निवासी बृजेश नगर पेपर मिल रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 229/25 धारा-4/25 आयुध अधिनियम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 55/26 धारा -305(A) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

01 स्पलेडर मोटर साइकिल नं0-UP11AR9897

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 40 सन्नी कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2107 रवि राठी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 28.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 28.01.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अभियुक्त **गोवर्धन पुत्र पल्टू निवासी फतेहपुर उर्फ सांपला दिवडा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा से धारुवाला रोड पर गैस एजेन्सी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0स0-65/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गोवर्धन पुत्र पल्टू निवासी फतेहपुर उर्फ सांपला दिवडा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. है0का0 1082 योगेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. का0 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।



दिनांक: 28.01.2026

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 18 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अमरपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व आज दिनांक 28.01.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अभियुक्त **राजेन्द्र पुत्र फूल सिंह निवासी फतेहपुर उर्फ सांपला दीवडा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर** को बहुपुर नगली रोड से **18 पच्चे अवैध देशी शराब** के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राजेन्द्र पुत्र फूल सिंह निवासी फतेहपुर उर्फ सांपला दिवडा थाना देवबंद जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री सुन्दर सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
2. है०का० 1082 योगेश कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर।
3. का० 2096 गौरव कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.01.2026

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व कुल 25 हजार रु० के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 16.06.2022 को वादी अर्पित शर्मा पुत्र श्री अनिल शर्मा नि० सरस्वती बिहार कालौनी कस्बा व थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अर्पित शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी कुआहेडा थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार द्वारा वादी के पिता की गोली मारकर हत्या कर देना व वादी की माता व बहन को जान से मारने की सूचना पर मु०अ०सं०-240/2020, धारा 302, 506 भादवि थाना गागलहेडी पर तथा अभियुक्त अर्पित शर्मा पुत्र के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर 01 खोखा 02 जिंदा कारतूस जिन्दा (आला कत्ल) बरामद होने की सूचना पर मु०अ०सं०-241/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग क्रमशः एसटी नं०-2340/2022 व 2341/2022 पर माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 28.01.2026 को अभियुक्त अर्पित शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी कुआहेडा थाना मंगलौर जनपद हरिद्वार को थाना गागलहेडी पर पंजीकृत मु०अ०सं०-240/2022 धारा 302, 506 भादवि व मु०अ०सं०-241/2022 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता- (डी०जी०सी०) श्री सोनवीर सिंह

विवेचक-निरी० श्री सूबे सिंह

पैरोकार-है०का०- अमरीश थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।